

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ० नि० ब्यू० जयपुर
प्र०इ०रि० सं. 52/22 दिनांक. 17/2/22
2. (I) अधिनियम ...पी०सी० (संशोधन)एक्ट 2018 यथा संशोधित 2018..... धारायें. 7
(II) अधिनियम ...भा०दं०सं० .. धारायें 120 बी
(III) 'अधिनियम धारायें
(IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 370 समय 7.45 P.M.
(ब) अपराध घटने की दिनांक 16.02.2022 समय 11.20 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- मकान नम्बर 104 सैक्टर 4 इंदिरा गांधी नगर नियर कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड
प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर जयपुर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-उत्तर पूर्व- दूरी लगभग 10 किलोमीटर
(ब) 'पता बीट संख्या..... जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम श्री बाबूलाल श्री बाबूलाल शर्मा
(ब) पिता/पति का नाम श्री भगवान सहाय शर्मा
(स) जन्म तिथि/वर्ष 50 वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय -प्राइवेट कार्य
(ल) पता गांव हरनेल तहसील एवं पुलिस थाना थानांगाजी जिला अलवर
ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1- श्री मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी देव खेड़ा जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर।
2- श्री रामकिशोर मीणा पुत्र स्व. श्री रामकुमार मीणा उम्र 39 साल निवासी गाँव मीणा वाला भोठड़ा कॉलोनी सिरसी रोड़, पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....कोई नहीं.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 30000/-रुपयें।
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

निवेदन है कि दिनांक 15.02.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा उम्र 50 वर्ष पेशा ट्रांसपोर्ट कार्य निवासी गांव हरनेल तहसील एवं पुलिस थाना थानांगाजी जिला अलवर ने एक लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू प्रथम को सम्बोधित करते हुए उप अधीक्षक पुलिस एस.यू.प्रथम जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की प्रस्तुत की कि सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SU1 Unit भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (राज.) विषय:- मेरे कय शुदा मकान की रजिस्ट्री के दस्तावेज के प्रमाणिकरण की एवज में हाउसिंग बोर्ड के आवासीय अभियंता व कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने की रिपोर्ट देने के कम में। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी बाबूलाल शर्मा निवासी हरनेल तहसील थानांगाजी जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मेने सन 2017 में दो मकान हाउसिंग बोर्ड के रामाकृष्णपुरम कोटपूतली में नम्बर 2G1 व 2G2 खरीदे थे श्री अजय माथुर व विष्णु शर्मा से कय किये थे जिसका नियमतिकरण एव अदेय प्रमाण पत्र राजस्थान आवासन

मण्डल जयपुर द्वारा जारी कर दिये गये थे अब उक्त दोनो मकानो को मुझे बेचान करना है जिसके लिए उक्त मकानो की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कोटपूतली द्वारा होनी है। उक्त रजिस्ट्री के लिए मेने आवश्यक दस्तावेजात शपथ पत्र राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का form no-8 व E challan GR NO -0058786635 GR NO-00587859 दिनांक 14.02.2022 को जमा करा दिया है व शुल्क की 1300 + 1300 रुपये जमा करा दिये है उक्त दस्तावेजात के आधार पर ही राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा रजि. का format तैयार किया जाकर आवासन मण्डल द्वारा रजिस्ट्रार कोटपूतली को प्रेषित किया जाता है मेरे द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज लेकर जब मैं राजस्थान आवासन मण्डल में आज पहुँचा वहा पर पदस्थापित आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल श्री आर के मीणा ने बोला की यह काम ऐसे नहीं होता आप मोहनसिंह सहायक कर्मचारी से मिल लो जिस पर मे मोहनसिंह सहायक कर्मचारी से मिला तो उसने आवासीय अभियन्ता के लिये 30000 हजार रुपये रिश्वत की मांग की मैं यह रिश्वत नहीं देना चाहता रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री आर के मीणा व श्री मोहन सिंह से कोई व्यक्ति रजिंश नहीं है। ना ही उक्त दोनो से कोई उधार का लेनदेन शेष है। कृपया मेरी रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करे दिनांक 15.012.2022 भवदीय एसडी बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व श्री भगवान सहाय शर्मा जाति ब्राह्मण हरनेर थानागाजी अलवर मो. 9950340691.

उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये व्यक्ति का परिचय परिवादी बाबूलाल शर्मा से करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम आवश्यक कानूनी कार्रवाही का पृष्ठाकन कर कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जाने पर परिवादी का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी। परिवादी से मजिद दरियाफ्त की जाने पर उक्त रिपोर्ट हस्तलिखित होना व रिपोर्ट पढकर सुनाई जाने पर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पूर्ण जानकारी व सही होना स्वीकार किया गया परिवादी ने बताया कि मैंने दो मकान राजस्थान आवासन मण्डल के श्री अजय माथुर व विष्णु शर्मा से क्रय किये थे उक्त मकानो को बैचान करने हेतु रजिस्ट्री की आवश्यकता है उक्त मकानो का नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी किया जा चुका है। उक्त मकानों की रजिस्ट्री हेतु राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फोर्मेट तैयार करके रजिस्ट्रार कोटपूतली को भेजा जाना है जिसका मैंने रजिस्ट्रार कोटपूतली के नाम ई चालान की शुल्क भी जमा करवा दी है। अब राजस्थान आवासन मण्डल में मेरी तरफ से कोई शुल्क अदायगी शेष नहीं है। उक्त फोर्मेट को जारी करने के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम श्री आर.के.मीणा, श्री मोहन सिंह कार्यालय सहायक द्वारा मिलकर मेरे से 30000/-रुपयें रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। आज दिनांक 15.02.2021 को मैं उनसे मिला तो मेरी से आज श्री आर.के.मीणा ने श्री मोहन सिंह से मिलने के लिये कहाँ तो उक्त रिश्वत राशि की मांग की गयी है। मैं उक्त दोनों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हू। रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी उक्त दोनों से कोई आपसी रजिंश व आपसी लेनदेन शेष नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजिद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने से कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी बाबूलाल शर्मा को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने की विधि व संचालन तथा रखरखाव की विधि समझाई जाकर कानिस्टेबल श्री अनोख कुमार कानि. न.161 को कार्यालय में बुलाया जाकर परिवादी से एक दूसरे का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर जरिये फर्द सुपुर्दगी पृथक से मूर्तिब कर सुपुर्द कर शामिल कार्रवाई की गयी श्री अनोख कुमार कानि को परिवादी के साथ सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

कुछ समय पश्चात श्री अनोख कुमार कानि मय परिवादी बाबूलाल शर्मा के सत्यापन में गये हुये उपस्थित कार्यालय होकर परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया। श्री अनोख कानि. ने बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के साथ उसकी कार में उसके पुत्र के साथ राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर 4 इन्दिरा गॉंधी नगर जगतपुरा जयपुर के बाहर पहुँचकर परिवादी ने अपनी कार में अपने पुत्र को छोडकर परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर हम दोनों उक्त कार्यालय में श्री मोहन सिंह के पास गये। जिसने जाते ही परिवादी से मेरे बारे में पूछा गया व मोहन सिंह ने परिवादी बाबूलाल को श्री आर.के.मीणा के चेम्बर में लेकर गया व मुझे बाहर खडा रहने के लिये बोला गया। कुछ समय पश्चात बातचीत करके परिवादी व मोहन सिंह बाहर आ गये। इसके पश्चात परिवादी को मोहन सिंह बाहर चाय की दुकान पर ले गया था जहाँ पर दोनों के द्वारा चाय पीते हुए रिश्वत राशि की बातचीत की गयी तथा मैं पीछे से सब देख रहा था। कुछ समय पश्चात परिवादी बातचीत करके मेरे पास आ गया तथा गाडी के पास आने पर श्री मोहन सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की बातचीत की गयी। परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर लिया। इसके पश्चात परिवादी ने श्री अनोख कुमार कानि. की बातों की ताईद करते हुए बताया कि कार्यालय से मैं व अनोख कानि. आवासन मण्डल के जगतपुरा कार्यालय में चले गये जहाँ पर अनोख कानि. को मैंने मेरा बैग देकर मेरे साथ लेकर उक्त कार्यालय में प्रवेश करने पर श्री मोहन सिंह मुझे मिला जिसने मेरे से बातचीत करके श्री अनोख कानि. के बारे में पूछा तो मैंने मेरा साडू होना बताया तथा मुझे आर.के मीणा के कार्यालय में अपने साथ लेकर गया व अनोख कानि. को बाहर ही रहने दिया गया। मेरे से आर.के मीणा ने उनके कार्यालय कक्ष के अन्दर शपथ पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, हाउसिंग बोर्ड का फार्म नम्बर 8, पेन कार्ड की कापी, ई-चालान व 16 फोटो दो प्रतियों में ले लिये तथा अपने पास रख लिये। मेरे से आर.के.मीणा द्वारा श्री मोहन सिंह से मिलने के लिये कहने पर हम दोनों बाहर आ गये तथा मुझे मोहन सिंह ने चाय की दुकान पर ले जाकर मेरे कार्य के लिये 10000/-रुपयें की रिश्वत स्वयं के लिये व 20000/-रुपये की रिश्वत राशि श्री आर.के.

मीणा के लिये कहकर आज शाम को ही देने के लिये कहाँ गया है, मैंने कुछ बहाना बनाया है, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। है फोन आने पर बहाना बना लूंगा। परिवादी की बातों की ताईद के लिये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो रिश्वत राशि की मांग की जाना पाया जाने पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में दुरुस्त रखा गया। कार्यालय पर पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री सीतेन्द्र सिंह व श्रीराम को दिनांक 16.02.2022 को समय 8.00 ए.एम पर कार्यालय पर उपस्थित होने के लिये जरिये दूरभाष पाबन्द किया जाकर परिवादी श्री बाबूलाल को रिश्वत राशि 30000/- रुपये की व्यवस्था कर दिनांक 16.02.2022 को 7.30 ए.एम पर कार्यालय पर उपस्थित आने के लिये पाबन्द कर रूखस्त किया गया। दिनांक 16.02.2022 को परिवाद उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया व बताया कि दिनांक 15.02.2022 को मेरे पास मोहन सिंह का रात में कॉल आया था लेकिन मैंने रिसीव नहीं कर अपना फोन स्वीच ऑफ कर लिया गया था। दिनांक 16.02.2022 को स्वतंत्र गवाह श्री सीतेन्द्र सिंह व श्री राम उपस्थित कार्यालय आये जिनका नाम पता पूछा तो अपना एक ने अपना नाम श्री सीतेन्द्र सिंह हाल कनिष्ठ सहायक स्वास्थ्य शाखा नगर निगम ग्रेटर जयपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री राम हाल सफाई कर्मचारी नगर निगम ग्रेटर जयपुर होना बताया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी बाबूलाल शर्मा व स्वतंत्र गवाह श्री सीतेन्द्र सिंह व श्री राम का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी का प्रार्थना पत्र गवाह को पढकर सुनाया गया व गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों गवाह द्वारा पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गयी। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकाल कर चालू कर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री सीतेन्द्र सिंह व श्री राम के समक्ष परिवादी श्री बाबूलाल व संदिग्ध आरोपी आर.के.मीणा व श्री मोहन सिंह के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मूर्तिब कर तीन सीडीयां मार्क ए, ए-1, ए-2 तैयार कर सीडीये व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गई।

दिनांक 16.02.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा को आरोपी श्री आर.के.मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम व श्री मोहन सिंह कार्यालय सहायक कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 4, इन्दिरा गाँधी नगर, जगतपुरा जयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रुपये के 60 नोट कुल राशि 30000/- रुपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित करवाकर श्री शिवशंकर वरिष्ठ सहायक से फिनोपथैलीन पाऊंडर लगवाया जाकर रासायनिक क्रिया का प्रदर्शन कर महत्व समझाया गया तथा गवाह श्री सीतेन्द्र सिंह से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन, आधार कार्ड के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी जाकर आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी की पहने हुयी शर्ट की बायी साईड की जेब में श्री शिवशंकर से रखवाई जाकर रासायनिक प्रक्रिया का महत्व समझाया जाकर निर्धारित ईशारा बताया जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं प्रदर्शन फिनोपथैलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउंडर मुर्तिब की जाकर शामिल कार्रवाई की गयी।

इसके पश्चात दिनांक 16.02.2022 को समय 10.30 ए.एम पर मन् अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक मय श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री उदयभान मुख्य आरक्षी, श्री अनोख कुमार कानि0, श्री राजकृष्ण न., श्री मेहर सिंह कानि. श्री रमेश चन्द्र कानि. व परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा मय स्वतंत्र गवाह श्री सीतेन्द्र सिंह व श्री श्री राम मय सरकारी वाहन टवेरा आर जे 14 यूसी 8798 मय चालक श्री दयाल बुनकर मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन, मोटर साईकिल के साथ में आवासन मण्डल, सेक्टर 4, इन्दिरा गाँधी नगर, जगतपुरा जयपुर के लिए रवाना होकर राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर पहुँचे जहां पर परिवादी को आरोपीगण को रिश्वत राशि दी जाने के लिये परिवादी के साथ कानि. श्री अनोख कुमार को रवाना किया जाकर सभी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान् अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आस पास मुकीम हुये।

दिनांक 16.02.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा ने समय 11.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान के रवाना होकर राजस्थान आवासन मण्डल के पास होकर गुजरने वाली रोड़ पर आवासन मण्डल से कुछ दूरी पर आरोपी श्री मोहन सिंह के किराये के मकान नम्बर 104 सेक्टर 4, इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर पर पहुँचे जहां पर वाहनो को साईड मे खडा कर उक्त मकान मे प्रवेश करने पर परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा, श्री अनोख कानि. व उनके साथ एक अन्य व्यक्ति मकान की चार दिवारी के अंदर खाली जगह पर उपस्थित मिले जहां पर परिवादी ने जींस पेंट पहने व दाडी रखे हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यहीं श्री मोहन सिंह कनिष्ठ सहायक राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर है जिन्होने आज दिनांक को मेरे से पूर्व में हुई बात के अनुसरण में 30000/- रुपये रिश्वत राशि अपने लिये व श्री रामकिशोर मीणा के लिये अपने बाये हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपने कमरे मे ले जाकर रखकर बाहर आ गया हैं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाते हुये उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान् का परिचय देते हुये आने के मन्तव्य से अवगत कराया व नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी देव खेड़ा जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर होना बताया। आरोपी श्री मोहन सिंह से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आपने

अभी अभी परिवादी श्री बाबुलाल शर्मा से 30000 रु. रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर अपने कमरे में रखी है क्या ? के बारे में पूछा तो आरोपी श्री मोहन सिंह ने बताया कि मैंने तो इनके स्टाम्प व शपथ पत्र तैयार करवाने व मेरी बिमारी के लिये उधार में लिये हैं इस पर परिवादी श्री बाबुलाल शर्मा ने बताया कि मोहन सिंह झूठ बोल रहे हैं मैंने राजस्थान आवासन मण्डल के दो मकान श्री अजय माथुर व श्री विष्णु शर्मा से कय किये थे उक्त मकानों को बैचान करने से रजिस्ट्री की आवश्यकता होने से नियमितीकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हैं उक्त मकानों की रजिस्ट्री हेतु राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फॉर्मेट तैयार करके रजिस्ट्रार कोटपूतली को भेजा जाना है जिसका मेरे द्वारा रजिस्ट्रार कोटपूतली के नाम से ई चालान की शुल्क भी जमा करवा देने से राजस्थान आवासन मण्डल में कोई शुल्क अदायगी शेष नहीं होने के बावजूद भी उक्त फॉर्मेट को जारी करवाने के लिये दिनांक 15.02.2022 को मैं व श्री अनोख कानि. राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड प्रथम जगतपुरा के कार्यालय के पास मोहन सिंह के बुलाने पर राजस्थान आवासन मण्डल के बाहर मिले थे, जिसने मेरे से बातचीत करके श्री अनोख कानि. के बारे में पूछा तो मैंने मेरा साडू होना बताया तथा मुझे आर.के.मीणा के कार्यालय में अपने साथ लेकर गया व अनोख कानि. को बाहर ही रहने दिया गया। मेरे से आर.के.मीणा ने उनके कार्यालय कक्ष के अन्दर शपथ पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, हाउसिंग बोर्ड का फार्म नम्बर 8, पेन कार्ड की कॉपी, ई-चालान व 16 फोटो दो प्रतियों में ले लिये तथा अपने पास रख लिये। मेरे से आर.के.मीणा द्वारा श्री मोहन सिंह से मिलने के लिये कहने व ईशारा करने पर पर हम दोनों बाहर आ गये तथा मुझे मोहन सिंह ने चाय की दुकान पर ले जाकर मेरे कार्य के लिये प्रति पत्रावली पांच-पांच हजार स्वयं व अन्य के लिये तथा दो पत्रावलीयों के दस-दस हजार रु. के हिसाब से बीस हजार रुपये श्री आर.के.मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लिये मांग की जाकर दिनांक 15.02.2022 को ही देने के लिये कहा गया है, मैंने कुछ बहाना बनाया कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। परिवादी ने बताया कि मुझे आज घर पर ही श्री मोहन सिंह ने मेरे आवास संख्या 2-जी-1 व 2-जी-2 के कन्वेंस डीड के तीन-तीन सेट अपने घर पर ही हस्ताक्षर करने के लिये दिये जिन पर मैं हस्ताक्षर कर ही रहा था कि आप लोग आ गये थे, उक्त कन्वेंस डीड कब्जे ए.सी.बी. लिये गये परिवादी का कार्य प्रभावित नहीं होने की स्थिति में उक्त कन्वेंस डीड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कब्जे ली गयी। इस पर आरोपी श्री मोहन सिंह को पूछा गया कि रिश्वत राशि कहाँ पर हैं तो आरोपी द्वारा कहा गया कि मेरे पास कोई राशि नहीं है मेने कोई पैसे नहीं लिये हैं इस पर परिवादी से पुनः पूछा तो परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि आरोपी ने अपने कमरे में ले जाकर रखी है इस पर एक महिला गाउन पहने हुये बाहर आयी जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहियान् का परिचय देते हुये नाम पता पूछा तो अपना नाम भगवती पत्नी श्री मोहनसिंह जाति चौहान उम्र 28 साल निवासी गाँव देव खेड़ा जिला अजमेर हाल किरायेदार प्लाट नम्बर 104 सैक्टर 4 इंदिरा गांधी नगर जयपुर होना बताया। इसके पश्चात आरोपी के किराये के कमरे की तलाशी ली जाने पर कमरे में एक छोटी सोई हुई बच्ची के पास फर्श पर कुछ नोटों की राशि रखी हुयी पायी गयी जिसको गवाह श्री राम से उठवायी जाकर गिनवाकर पूर्व में बनायी गयी फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत से मिलान करवायी जाने पर हूबहू होना पायी गयी। उक्त राशि गवाह के पास ही रहने दी गयी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमरा जाप्ते में से कानि राजेश कुमार से पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर कांच के गिलास में पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार कर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान् को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास में श्री मोहन सिंह के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो कांच की सीसीयों को साबुन व पानी से साफ धुलवाकर सीसीयो में आधा आधा डलवाकर सीलड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया व इसी प्रकार दूसरे कांच के पानी के गिलास में उक्त प्रक्रिया अपनाई जाकर श्री मोहन सिंह के बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की सीसीयों को साफ साबुन व पानी से धुलवाकर सीसीयो में आधा आधा डलवाकर सीलड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क एल.एच.-1, एल.एच.-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी द्वारा रिश्वत राशि जिस स्थान पर रखी गयी थी एवं उक्त बरामदगी स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक कपड़े की चिंदी से उक्त फर्श के स्थान को साफ कर पूर्व की भांति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उक्त चिंदी को उक्त घोल में डालने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया उक्त धोवन को दो सफ़ेद कांच की सीसीयों में आधा आधा डलवाकर सीलड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क एफ-1 व एफ-2 अंकित का सम्बंधितों हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा कपड़े की चिंदी को सुखाने के लिये रखा गया। मौके पर कम्प्युटर व लेप टॉप लगाने के लिये लाईट व कुर्सी टेबिल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मौके से रवाना होकर राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड प्रथम जगतपुरा के कार्यालय के अंदर प्रवेश करने पर श्री बी.एल. मीणा आवासीय अभियंता के कमरे के सामने स्थित कमरे में प्रवेश करने पर एक व्यक्ति काली जैकेट, जींस पैन्ट व मास्क लगाये हुये बैठा था जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यहीं आर.के.मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान् का परिचय देते हुये आने के मन्तव्य से अवगत कराया व नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री रामकिशोर मीणा पुत्र स्व. श्री रामकुमार मीणा उम्र 39 साल निवासी गाँव मीणा वाला भोठड़ा कॉलोनी सिरसी रोड़, पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर होना बताया उक्त व्यक्ति को परिवादी श्री बाबुलाल शर्मा की पत्रावलीयों व कार्य के बारे में

32

पूछा तो श्री रामकिशोर मीणा ने बताया कि दिनांक 15.02.2022 को मेरे से श्री बाबुलाल शर्मा मिले थे जिन्होंने मुझे एक शपथ पत्र, फोटो, आधार कार्ड व पेन कार्ड तथा हाऊसिंग बोर्ड के प्रपत्र 8 की प्रतियां एवं नियमितिकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां मुझे दी थी इसके अलावा मैंने बाबुलाल से कोई बातचीत नहीं की नाहि मैंने कोई रिश्वत मांगी हैं जिस पर परिवादी श्री बाबुलाल ने बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं दिनांक 15.02.2022 को मैं अनोख कुमार कानि. के साथ राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड प्रथम के कार्यालय आया था जहां पर मैं मोहन सिंह से मिला तो मोहन सिंह ने मुझे आर.के. मीणा के कमरे में लाकर मेरे से बातचीत की व मेरे से उक्त दस्तावेज लिये थे तथा मुझे श्री मोहन सिंह से ही बातचीत करने के लिये कहा जाकर ईशारा किया था जिस पर मोहन सिंह ने मेरे से मेरे दोनो मकानों के लिये पांच-पांच हजार स्वयं के लिये व 20000 रु. श्री आर.के. मीणा के लिये मांग की गयी थी। उसके पश्चात श्री रामकिशोर मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी से परिवादी श्री बाबुलाल के आवास संख्या 2-जी-01, 2-जी-02 जो क्रमशः श्री अजय माथुर पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल माथुर निवासी रामाकृष्णापुरम योजना कोटपूतली व श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासी रामाकृष्णापुरम योजना कोटपूतली की पत्रावलीयों के बारे पूछा तो आरोपी श्री रामकिशोर मीणा ने उक्त दोनो आवास की पत्रावलीयां अपनी टेबिल की दराज से निकालकर प्रस्तुत की गयी। उक्त पत्रावलीयों के अवलोकन से पत्रावलीयों में उप पंजियक कोटपूतली के नाम से पंजियन प्रपत्र आवास की रजिस्ट्री हेतु दोनो भूखण्ड की अलग-अलग निकाले गये लेटर मिले जिन पर ओ.सी. पर श्री रामकिशोर मीणा के हस्ताक्षर पाये गये। परिवादी का कार्य उक्त विभाग में लम्बित होने से परिवादी के कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने की स्थिति में श्री विजय सिंह लेखाकार को प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित कर सुपूर्द की गयी जिनको पृथक से वजह सबूत जब्त किया जायेंगा। बरामद शुदा नोट जो गवाह श्री राम के पास सुरक्षित रखे गये थे को प्राप्त किया गया।

उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जे ए.सी.बी. लिये गये। जिस कपड़े की चिंदी से धोवन लिया गया था उसे एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर बतौर वजह सबूत शिल्ड मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर जब्त कर मार्क "सी" अंकित किया गया। पूर्व में प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकार्डर को प्राप्त कर सुना तो रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता दर्ज होना पायी गयी जिसकी फर्द ट्रान्स्क्रिप्ट पृथक से मूर्तिब की जायेगी। उपरोक्त सभी तथ्यो एवं परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री बाबुलाल शर्मा के राजस्थान आवासन मण्डल के दो मकान संख्या 2-जी-01 क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर, 2-जी-02 जो रामाकृष्णापुरम कोटपूतली में स्थित क्रमशः श्री अजय माथुर व श्री विष्णु शर्मा से जरिये ईकरारनामा कय किये थे। उक्त मकानों के नियमितिकरण हेतु आवेदन दिनांक 04.09.2017 को किया गया। उक्त मकानों को बैचान करने से रजिस्ट्री की आवश्यकता होने से नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हैं उक्त मकानों की रजिस्ट्री हेतु राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फॉर्मेट तैयार करके रजिस्ट्रार कोटपूतली को भेजा जाना है जिसका परिवादी ने रजिस्ट्रार कोटपूतली के नाम से ई चालान की शुल्क भी जमा करवा देने के बावजूद राजस्थान आवासन मण्डल में कोई शुल्क अदायगी शेष नहीं होने से उक्त फॉर्मेट को जारी करने के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी खण्ड प्रथम श्री आर.के.मीणा, श्री मोहन सिंह कार्यालय सहायक द्वारा आपसी मिलिभगत कर अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण की मांग दिनांक 15.02.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान करना एवं अपनी मांग के अनुशरण में दिनांक 16.02.2022 को परिवादी को आवासन मण्डल कार्यालय से अपने किराये के मकान नम्बर 104 सेक्टर 4, इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर पर ले जाकर 30000 रु. की रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर अपने किराये के कमरे में फर्श पर अपनी सोई हुयी बेंटी की आड़ में 30000 रु. की रिश्वत राशि फर्श से उक्त रिश्वत राशि बरामद होने व दोनो हाथों व फर्श का धोवन का रंग गुलाबी होना एवं आरोपी श्री रामकिशोर मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने के षड्यंत्र में सम्मिलित होना एवं आरोपी के कब्जे से परिवादी के दोनो मकान की पत्रावलीयां बरामद होना व उप पंजियक कोटपूतली को पंजियन प्रपत्र आवास की रजिस्ट्री हेतु निकाला हुआ लेटर जिस पर आरोपी श्री रामकिशोर मीणा के ओ.सी. प्रति पर हस्ताक्षर होने से प्रमाणित पाया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 20000 रु. की प्राप्ति की पश्चात ही उक्त दोनो लेटर पर बी.एल. मीणा आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी व सम्बंधित कार्यालय को भेजे जाते। उक्त दोनो आरोपीगणों का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 पीसी एक्ट व 120 बी भा.द.स. का प्रमाणित पाया गया। उक्त कार्यवाही के पृथक से विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वत राशि नोट व हाथ धुलाई तैयार कर शामिल कार्यवाई की गई।

दिनांक 16.02.2022 को आरोपी श्री मोहन सिंह कनिष्ठ सहायक व आरोपी श्री रामकिशोर मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाया जाने से जरिये फर्द पृथक -पृथक मूर्तिब कर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात घटनास्थल पर पहुँचकर फर्द निरीक्षण घटनास्थल जरिये फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली कर घटनास्थल का निरीक्षण कर राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर के कार्यालय पहुँची। इसके पश्चात श्री विजय कुमार कनिष्ठ लेखाकार ने परिवादी के आवास संख्या 2-जी-1 रामकृष्णापुरम कोटपूतली जयपुर की कन्वेस डीड की तीन प्रतियां, आवास संख्या 2-जी-2 रामकृष्णापुरम कोटपूतली जयपुर की कन्वेस डीड की तीन प्रतियां, उप पंजियक कोटपूतली के नाम से पंजियन प्रपत्र आवास की रजिस्ट्री हेतु दोनो भूखण्ड की अलग-अलग निकाले गये लेटर की प्रमाणित प्रतियाँ, परिवादी के भूखण्ड संख्या 2-जी-1 रामकृष्णापुरम कोटपूतली जयपुर के आवास

32

की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां व परिवादी के भूखण्ड संख्या 2-जी-2 रामकृष्णपुरम कोटपूतली जयपुर के आवास की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी जिनके प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये जिनको जरिये फर्द जप्ती बतौर वजह सबूत जप्त कर फर्द पृथक से तैयार कर कब्जे एसीबी ली गयी। फर्द शामिल कार्यवाही की गयी। मूल रिकॉर्ड मौके पर ही श्री विजय सिंह को परिवादी का कार्य लम्बित होने से सुपुर्द किया गया।


बरामद शील्ड शुदा रिश्वत राशि 30000/-रुपये मय सरकारी वाहन चालक के उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आयी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने दिनांक 16.02.2022 को रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाये जाने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को लेपटॉप की सहायता से सुनकर गवाहों की उपस्थिति में रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर तीन सीडीयाँ मार्क बी,बी-1,बी-2 तैयार की जाकर मार्क बी,बी-1 को अलग-अलग सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर कब्जे एसीबी लिया गया व सीडी मार्क बी-2 अनुसंधान अधिकारी के लिये खुला रखा गया एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात फर्द नमूना शील मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपीगण श्री मोहन सिंह व श्री रामकिशोर मीणा को अपनी-अपनी आवाज का नमूना देने के लिये जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज देने के लिये कहाँ जाने पर आरोपी आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नमूना नहीं देने के लिये स्पष्ट रूप से इंकार किया गया। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा व स्वतंत्र गवाह को रूखस्त किया गया। जप्त शुदा आर्टीकल्स व रिश्वत राशि को जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल, रिश्वत राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा के राजस्थान आवासन मण्डल के दो मकान संख्या 2-जी-01 क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर, 2-जी-02 जो रामकृष्णपुरम कोटपूतली में स्थित कमशः श्री अजय माथुर व श्री विष्णु शर्मा से जरिये ईकरारनामा कय किये थे। उक्त मकानों के नियमितिकरण हेतु आवेदन दिनांक 04.09.2017 को किया गया। उक्त मकानों को बैचान करने से रजिस्ट्री की आवश्यकता होने से नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जाने की एवज में उक्त मकानों की रजिस्ट्री हेतु राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फॉर्मेट तैयार करके उप पंजीयक कोटपूतली जिला जयपुर को पंजीयन हेतु भेजा जाना है जिसका परिवादी ने रजिस्ट्रार कोटपूतली के नाम से ई चालान की शुल्क भी जमा करवा गया। इसके बावजूद भी राजस्थान आवासन मण्डल में कोई शुल्क अदायगी शेष नहीं होने से उक्त फॉर्मेट व उप पंजीयक कोटपूतली जयपुर को पंजीयन हेतु पत्र जारी करने की एवज में राजस्थान आवासन मण्डल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी खण्ड प्रथम श्री आर.के.मीणा, श्री मोहन सिंह कार्यालय सहायक द्वारा आपसी मिलिभगत कर अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण की मांग दिनांक 15.02.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान करना एवं अपनी मांग के अनुशरण में दिनांक 16.02.2022 को आरोपी मोहन सिंह द्वारा परिवादी को आवासन मण्डल कार्यालय से अपने किराये के मकान नम्बर 104 सेक्टर 4, (4 एच 104) इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर पर ले जाकर 30000 रु. की रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर अपने किराये के कमरे में फर्श पर अपनी सोई हुयी बेटी की आड़ में 30000 रु. की रिश्वत राशि रखकर आने से उक्त फर्श से रिश्वत राशि बरामद होना एवं आरोपी मोहन सिंह कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों व फर्श का धोवन का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपी श्री रामकिशोर मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने के षड्यंत्र में सम्मिलित होना एवं आरोपी के कब्जे से परिवादी के दोनो मकान की पत्रावलीयां बरामद होना व उप पंजीयक कोटपूतली को पंजीयन प्रपत्र आवास की रजिस्ट्री हेतु निकाला हुआ लेटर जिस पर आरोपी के ओ.सी. प्रति पर हस्ताक्षर होने एवं उक्त दोनों आरोपीगण के पास परिवादी का कार्य लम्बित होने से प्रमाणित पाया गया कि आरोपी श्री रामकिशोर मीणा द्वारा रिश्वत राशि 20000 रु. आरोपी श्री मोहन सिंह के माध्यम से प्राप्ति की पश्चात ही उक्त दोनो लेटर पर बी.एल. मीणा आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी व सम्बन्धित कार्यालय को भेजे जाते इसकी एवज में रिश्वत राशि प्राप्त की गयी। उक्त दोनों आरोपीगणों का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 पीसी एक्ट व 120 बी भा.द.स. का प्रमाणित पाये जाने से उक्त दोनों आरोपीगणों को पृथक पृथक जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण श्री रामकिशोर मीणा पुत्र श्री रामकुमार मीणा उम्र 39 साल निवासी गोंव मीणा वाला भोठड़ा कॉलोनी सिरसी रोड़, पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर व श्री मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी देव खेड़ा जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द. का अपराध कारित करना पाया जाने से उपरोक्त के विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(अर्चना मीणा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(S.D.-1st) ए.यू.-1 जयपुर।
राज. जयपुर।

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-1, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1.श्री मोहन सिंह, कनिष्ठ सहायक, एवं 2.श्री रामकिशोर मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जगतपुरा, जयपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 52/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


17.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक : 478-82 दिनांक 17.2.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, एसयू-1 जयपुर।


17.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।